@ shahjhanpurpol

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य - दिनांक - 22.08.2020

थाना खुटार पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड,

03 अदद अवैध शस्त्र मय बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक,शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड हेतु लगातार अभियान चलाकर जनपद में अवैध धन्धा करने वालों को जनपदीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

इसी क्रम में दिनाँक 21.08.20 को श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में, नवनीत कुमार नायक क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के पर्यवेक्षण मे व जयशंकर सिंह प्रभारी थाना खुटार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर थाना खुटार क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्रों का धन्धा करने वालो के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही थी कि मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्त दन्ने उर्फ नन्हे पुत्र दिलेराम को ग्राम नवदिया दरुदग्रा के पास से समय 21.15 बजे दो अदद देशी तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया एवं कडाई से पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर के अन्दर से एक बोरी मे शस्त्र फैक्ट्री, तमंचे की 3 अदद नाल (नाजायज असलाह बनाने के उपकरण) बरामद हुआ। अभियुक्त पूर्व मे भी थाना सेहरा मऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत से शस्त्र फैक्ट्री मे जेल जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खुटार पर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह काफी समय से अवैध असलाह बनाने का काम करता है। पूर्व मे मेरे गिरोह मे 04 लोग क्रमशः1. रईस निवासी ग्राम केशरपुर पीलीभीत, 2. नत्थू निवासी रायपुर पीलीभीत 3. शकील निवासी गौरा पीलीभीत थे जिसमे शकील की मृत्यु हो चुकी है। मेरा गुरु व गिरोह का सरगना शकील शातिर किस्म का अपराधी था जिसके ऊपर दर्जन भर अपराधिक मुकदमे जनपद पीलीभीत मे दर्ज है। शकील से ही मैने शस्त्र बनाने की कला सीखी है। रईस व नत्थू भी असलाह बेचने का काम करते थे। शस्त्र बिक्री से प्राप्त बचत / मुनाफे की आधी आधी रकम बाँट लेते है। पूछताछ पर यह भी बताया कि एक तमंचा बनाने मे लगभग 500 रुपये की लागत आती है। जोकि 1500 से दो हजार रुपये मे बिक जाते है। कच्चा माल बैरल व असलाह बनाने के अन्य सामान शकील पहले तिलहर मे एक लोहे की दुकान से लाता था। दुकान बन्द हो जाने के बाद वह मुझे बरेली से माल लाकर देने लगा। कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गयी। जो सामान बचा था वो ही बना कर बेच रहा हूँ। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त की निशानदेही से

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. दन्ने उर्फ नन्हे पुत्र दिलेराम निवासी ग्राम नवदिया दरुदग्रा थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

1- 02 अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद तमंचा 12 बोर व तमंचे की नाल तथा शस्त्र बनाने के उपकरण (शस्त्र फैक्ट्री)

2-1. एक आरी 2. नौ आरी के पत्ता 3. एक रन्दा लकडी का 4. पाँच किलो का बाँट लोहा 5. एक लकडी का टुकडा 6. एक रेती लोहा 7. एक हथौडी 8. एक बर्मा 9. एक सुहागे का टुकडा व एक रांगे का टुकडा 10. सोलह रिपिट, ग्यारह स्प्रींग, 58 छोटी बडी कीले 11. दो टुकडा रेगमाल 12. आधा टुकडा आरी का बडा पत्ता 13. एक रायफल का बट 14. एक पकड लोहे 15. चार लोहे की वेल्डिंग वाली छडे 16. दो नाल लोहा लम्बाई करीब 7 अंगुल 17. एक नाल लोहा 14 अंगुल 18. दो लोहे की छोटी बडी छैन्नी 19. तीन लोहे की सुम्मी 20. दो छड पीतल की 21. एक तमंचा 12 बोर नाल लोहा 11 अंगुल, बट लोहा 06 अंगुल बाडी लोहा 5 अंगुल 22. एक अधबना फ्रेम लोहा 23. बोर बनाने के लिए एक लोहे का बर्मा 24. दो लोहे की कीले बडी 25. छोटे बडे पाँच लोहे के टुकडे 26. एक प्लास 27. एक आग वाली धौकनी भूसे के अन्दर प्लास्टिक की बोरी से बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले टीम का विवरणः-

1.थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह थाना खुटार शाहजहापुर

1- उ0नि0 श्री अपसार मियां	2. उ0नि0 श्री हरेन्द्रप्रताप सिंह
3. हे0का0 जय प्रकाश सिंह	4. का0 विजयप्रताप सिंह
5.का0 राजकुमार अत्री	6.का0 रोहित कुमार
7. का0 मोहित कुमार	8. का0 नेत्रपाल सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर